शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या-7/2018/ए-1-08ए0जी0/दस-2018-10(50)/2011

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक : 14 मार्च, 2018

विषय :- वैयक्तिक लेखा खातों में धनराशि को न रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में यह आया है कि विभागों द्वारा राज्य की समेकित निधि से धनराशियों को आहरित कर वैयक्तिक लेखा खाते में जमा कर दी जाती हैं। विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अन्त में इस प्रक्रिया के प्रकरणों में अत्यधिक वृद्धि परिलक्षित होती है। यह धनराशियाँ अनेकों वर्ष तक निष्प्रयोज्य पड़ी रहती है एवं विभागों द्वारा इनका उपयोग नहीं किया जाता है। उल्लेखनीय है कि एक वित्तीय वर्ष में आवंटित की गयी धनराशि यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व उपयोग में नहीं लायी जाती है, तो वह वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यपगत् हो जानी चाहिये। यह स्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद-202 व उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के नियम-138-146 में दी गयी व्यवस्था के प्रतिकूल है एवं इससे राज्य सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। समेकित निधि से धनराशियों को निकाल कर वैयक्तिक लेखा खाते में रखे जाने एवं कई वर्षों तक अप्रयुक्त रहने पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा भी आपत्ति व्यक्त की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- अत: इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये हैं :-

(1) राज्य के संचित निधि से धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 में रखे जाने की व्यवस्था को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दिया जाय।

(2) वर्तमान में पी0एल0ए0 खाते में जो धनराशियाँ अवशेष पड़ी हैं, प्रशा0विभाग आवश्यकता एवं औचित्य पाये जाने पर उसका उपयोग निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केवल दिनांक 31-03-2018 तक ही कर पायेंगे।

(3) दिनांक 01-04-2018 को पी0एल0ए0 में अवशेष समस्त धनराशियों, जिनका आहरण नहीं किया जा सकेगा उन धनराशियों को वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-01/2018/ए-1-53ए0जी0/दस-2017-10(50)/2011, दिनांक 04 जनवरी, 2018 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत जमा करने की कार्यवाही की जायेगी।

(4) दिनांक 01-04-2018 के पश्चात् विभागों द्वारा पी0एल0ए0 में अवशेष धनराशियों का आहरण नहीं किया जा सकेगा।

(5) विधायक निधि एवं विधि के अन्तर्गत किसी अधिनियम/नियम द्वारा स्थापित निधि पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।

3- अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थ सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
संजीव मित्तल
प्रमुख सचिव।

संख्या-7/2018/ए-1-08ए0जी0(1)/दस-2018-10(50)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश।

(2) प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(4) प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल आडिट), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(5) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से समस्त सम्बन्धित को सूचित करें।

(6) समस्त वित्त नियंत्रक।

(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, उ0प्र0, 148-जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(9) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।